न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – भारती भारद्वाज (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 05/2021

1. मोहनसिंह आयु करीब 46 वर्ष पुत्र श्री रतना।
2. रामगोपाल आयु करीब 65 वर्ष पुत्र श्री रतना।

समस्त जातिगण गडरिया, समस्त निवासीगण ग्राम सकतपुर तहसील मनियां, जिला धौलपुर।
––– वादीगण

बनाम

1. रूपाली पत्नी सोनू जाति वैश्य निवासी रस्तोगी गली सुनार गली धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर राज0
––– असल प्रतिवादिया
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनियां वहैसियत भूमिधारक
–––तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः– 1. श्री हरीसिंह बघेला एडवोकेट वादीगण की ओर से।
2. श्री निशांत भार्गव एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25.10.2021

वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 04.01.2021 को एक राजस्व वाद बाबत् बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात व उभयपक्ष के राजीनामा के आधार पर दिनांक 30.07.2021 को प्रांरम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार मनियां से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार मनियां ने पत्रांक 580 दिनांक 09.09.2021 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार मनियां के द्वारा प्राप्त हुए प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 745 रकवा 0.0253 हैक्टेयर, 746 रकवा 0.4046 हैक्टेयर स्थिति ग्राम सकतपुर पटवार हल्का विपरपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक-- पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज)

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा
1 रूपाली पत्नी सोनू जाति वैश्य, निवासी रस्तोगी गली, धौलपुर	746 / 1	0.1075 है0
2. मोहनसिंह पुत्र रतना जाति, गडरिया सा0 सकतपुर	746 / 4	0.0330 है0
	746 / 5	0.0657 है0
	746 / 6	0.0625 है0
	745	0.0253
1. रामगोपाल पुत्र रतना जाति, गडरिया सा0 सकतपुर	746 / 2	0.0438 है0
	746 / 3	0.0292 है0
	746 / 7	0.0629 है0

कुल किता 2 रकवा 0.4299 हैक्टेयर बाकै ग्राम सकतपुर पटवार हल्का विपरपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी के कुल लगान के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भारती भारद्वाज)
उपखण्डाधिकारी
धौलपुर

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज)